"उत्तर प्रदेश फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025"

1. प्रस्तावना:

1.1. भारतीय और वैश्विक परिदृश्य:

वैश्विक फुटवियर एवं लेदर क्षेत्र में निरंतर विकास एवं वृद्धि हो रही है, जिसका मुख्य कारण उपभोक्ता मांग में वृद्धि, उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रगति और खुदरा बाजारों का विस्तार है। भारत लेदर उत्पादों और फुटवियर के शीर्ष वैश्विक उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। यह क्षेत्र विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान के साथ देश की 'मेक इन इंडिया' एवं' आत्म निर्भर भारत' की अवधारणओं के अनुरूप है। लगभग 3 अरब वर्ग फुट वार्षिक लेदर उपलब्धता के साथ भारत का वैश्विक लेदर उत्पादन में 13% हिस्सा है। साथ ही, देश में विश्व की 20% मवेशी और भैंस की जनसंख्या तथा11% बकरी और भेड़ जनसंख्या भी पाई जाती है, जिससे कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होतीहै। यह क्षेत्र अत्यधिक श्रमसाध्य है, जो लगभग 44 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसमें विशेष रूप से लेदर उत्पाद निर्माण गतिविधियों में महिलाओं का महत्व पूर्ण योगदान है।

लगभग 250 करोड़ फुटवियर के वार्षिक उत्पादन के साथ भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फुटवियर उत्पादक होने के साथ ही साथ दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत वैश्विक स्तर पर लेदर परिधानों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, सैडलेरी और हार्नेस उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक और लेदर वस्तुओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है।भारत से लेदर, फुटवियर और लेदर उत्पादों का निर्यात प्रमुखता अमेरिका, जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड्स में होता हैं।

1.2. उत्तर प्रदेश का परिदृश्य:

उत्तर प्रदेश भारत के सबसे महत्वपूर्ण फुटवियर एवं लेदर केंद्रों में से एक है, जो घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

भारत के चमड़े के कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश का हिस्सा करीब 46% है, जिसके प्रमुख बाजार यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य पूर्व के देश हैं। आगरा, जिसे' भारत की फुटवियर राजधानी' के नाम से जाना जाता है, तैयार लेदर फुटवियर का एक प्रमुख निर्यातक है, जबकि कानपुर लेदर फुटवियर एसेसरीज़, सेफ्टी फुटवियर और सैडलेरी में प्रमुख स्थान रखता है। प्रमुख घरेलू ब्रांड और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपनी प्रीमियम फुटवियर कलेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश से लेदर प्राप्त करती हैं। इसके अतिरिक्त ई-कॉमर्स प्लेट फॉर्म्स ने बाजार की पहुंच को व्यापक किया है, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों को देश का व्यापक बाज़ार प्राप्त हुआ है।

1.3. उत्तर प्रदेश की विशिष्टता:

1.3.1. **औद्योगिक हब्स (Industrial Hubs)**

लेदर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ODOP उत्पाद है और कानपुर, उन्नाव और आगरा में एक फोकस उत्पाद है, जो अपने शिल्प कौशल और वैश्विक निर्यात के लिए जाना जाता है। लेदर और नॉन-लेदर उद्योग विशेष रूप से कानपुर, उन्नाव और आगरा जैसे शहरों में केंद्रित हैं, जो प्रमुख उत्पादन और निर्यात केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। कानपुर लेदर टैनिंग, तैयार लेदर, सुरक्षा फुटवियर और सेडलरी के उपकरण में विशेषज्ञ है, जबकि आगरा वैश्विक स्तर पर फुटवियर निर्माण और निर्यात में अग्रणी है। अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में उन्नाव, बरेली और लखनऊ शामिल हैं, जो लेदर उत्पाद निर्माण, फुटवियर निर्माण और शिल्पकला चमड़े के काम में योगदान करते हैं।

राज्य में 200 से अधिक क्रियाशील टेनरी हैं, जिनमें से अधिकतर कानपुर और उन्नाव में केंद्रित हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले तैयार चमड़े का उत्पादन करते हैं तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाज़ारों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

1.3.2. **कच्चे माल की उपलब्धता:**

उत्तर प्रदेश भारत के कुल कच्चे लेदर उत्पादन का **30%** प्रदान करता है, जो इसे घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बनाता है।

सरकारी नीतियों और प्रोत्साहनों ने उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऋण अनुदान, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता और कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने इस क्षेत्र की वृद्धि में योगदान दिया है।

1.3.3. **डेमो ग्राफिक डीवीडेन्ड:**

भारत की जनसंख्या का लगभग पांचवां हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है, जिसमें से 60% लोग वर्किंग ऐज वर्ग में आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस विशाल युवावर्ग के बाजारोन्मुखी कौशल उन्नयन के लिए कृत संकल्प है विशेष रूप से फुटवियर, लेदर और नॉन-लेदर क्षेत्र, जिसमें रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं| लेदर और फुटवियर उद्योग उत्तर प्रदेश में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छोटे और मध्यम उद्यमों में लगा हुआ है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1.3.4. **शासकीय सहायता एवं नीतियाँ:**

उत्तर प्रदेश सरकार ने फुटवियर एवं लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं| कानपुर में प्रस्तावित मेगा लेदर पार्क उन प्रमुख परियोजनाओं में से एक होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ उत्पादन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।

सतत चमड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र और पर्यावरण अनुपालन उपाय प्रारम्भ किए हैं जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टेनरियों का संचालन पर्यावरण के अनुकूल हो। सरकार प्रदूषण को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण

मानकों को पूरा करने के लिए प्रमुख चमड़ा केंद्रों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) स्थापित करने पर भी काम कर रही है।

2. नीति का स्वरुप :

इस नीति में सम्पूर्ण फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर मूल्य श्रृंखला (footwearleather and non-leather value chain) के आलोक में विनिर्माण, डिज़ाइन, अनुसंधान एवं विकास, निर्यात और सहायक उद्योग (allied industries) शामिल हैं, जिनको विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है।

(क) फुटवियर निर्माण इकाइयाँ:

1. लेदर फुटवियर निर्माण
2. नॉन-लेदर फुटवियर निर्माण (पीयू, ईवीए, रबर, सिंथेटिक, स्पोर्ट्स, woven footwear)
3. सहायक इकाइयाँ: जो विशेष रूप से फुटवियर कंपनियों के लिए बटन, snapfastners, इनलेकार्ड, बकल्स, आईलेट्स, हुक्स, रिवेट्स, sequin, कढ़ाई धागा, पत्थर, toggles, स्टड इलास्टिक कपड़ा, ornaments, embellishments, zips आदि का निर्माण करती हैं
4. नॉन-लेदर प्रसंस्करण इकाइयाँ: जैसे पॉलियुरेथेन लेदर और कॉम्पोनेन्ट निर्माण इकाइयाँ जैसे अपरस्टिचिंग यूनिट, स्टॉक फिटिंग सुविधा, फ्लाईनिट फैक्ट्री, मोल्ड फैक्ट्री, ऑर्नामेंट फैक्ट्री, लेस फैक्ट्री, सोल फैक्ट्री, फुटबेड फैक्ट्री आदि, जो विशेष रूप से फुटवियर निर्माताओं को सप्लाई करती हैं

(ख) लेदर और नॉनलेदर उत्पाद निर्माण इकाइयाँ:

1. लेदर और नॉन लेदर एसेसरीज़ एवं तैयार माल (जैसे हैंडबैग, वॉलेट, पर्स, ट्रैवल गुड्स, दस्ताने, अपहोल्स्ट्री आदि)
2. लेदर परिधान
3. सैडलेरी एवं हार्नेस
4. सहायक इकाइयाँ (जिनमें केमिकल, डाई, ऑयल, एडहेसिव्स, सोल, हील, इनसोल, बकल्स, जिपर्स, आईलेट्स, लेस, एम्बेलिशमेंट, लाइनिंग्स, थ्रेड्स, टैग्स, लेबल्स आदि सम्मिलित हैं)

(ग) फुटवियर लेदर और नॉन लेदर मशीनरी निर्माण इकाइयाँ

- Leather Sewing/ Stitching Machines manufacturer

- Leather cutting, moulding machines manufacturer
- Technical textiles machines manufacturer
- Non-Leather Shoes (Safety shoes) machines and Component Manufacturer

(घ) क्लस्टर एप्रोच (Cluster approach) :

- सहायक इकाइयों और /या फुटवियर एवं लेदर उत्पाद निर्माण इकाइयों द्वारा समूह निवेश सम्मिलित है

(ङ) अलाइड फुटवियर लेदर औरनॉन लेदर इकाइयाँ:

- जो विभिन्न संसाधन या अनुपालन आवश्यकताओं के कारण क्लस्टर के बाहर स्थित हैं परन्तु आपूर्ति श्रृंखला का एक अनिवार्य भाग हैं

(च) उत्पाद विकास (Product development) केंद्र, अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र:

- फुटवियर एवं लेदर डिज़ाइन स्टूडियोज, लेदर एवं फुटवियर के लिए आर एंड डी केंद्र

3. उद्देश्य:

उत्तर प्रदेश फुटवियर और चर्म विकास नीति का उद्देश्य सुदृढ़, प्रौद्योगिकी- संचालित और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर राज्य को भारत के अग्रणी फुटवियर और लेदर विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना है। नीति के व्यापक उद्देश्यों में निम्न घटक सम्मिलित हैं:-

1. प्रमुख वैश्विक बाजारों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश से फुटवियर लेदर और नॉन लेदर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना
2. नए निवेश को आकर्षित करने और मौजूदा लेदर और नॉन लेदर और फुटवियर व्यवसायों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना
3. लेदर उद्योग के तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को सुगम बनाना, उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करना
4. लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुशल कार्यबल तैयार करना, जिससे लेदर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित हों

5. एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तैयार करना जो घरेलू एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, दोनों को आकर्षित करे

4. नीति के प्रमुख स्तंभ:

4.1. **भूमि की उपलब्धता (लैंड बैंक)**

प्रदेश सरकार लेदर और फुटवियर विनिर्माण के लिए एक विकसित स्थान उपलब्ध कराएगी जिसके लिए राज्य उपयुक्त स्थानों पर बड़े भूखंडों को चिन्हित करके लैंड बैंक और समर्पित लेदर पार्क बनाने का प्रयास करेगा, जिसमें प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और सामान्य सेवा केंद्रों सहित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था होगी।

4.2. **त्वरित भूमि आवंटन:**

प्रदेश में पूर्व से ही एक ऑनलाइन भूमि आवंटन प्रक्रिया संचालित है, जो एक सिंगल-विंडो सिस्टम के माध्यम से राज्य में उद्योगों की स्थापना को त्वरित गति प्रदान करता है। यह प्रक्रिया फुटवियर एवं लेदर इकाइयों पर भी लागू होगी। मेगा एंकर (Mega Anchor)इकाइया एवं क्लस्टर को भूमि प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

4.3. **फुटवियर एवं उपकरण निर्माण को प्रोत्साहन:**

भारत के सबसे बड़े एमएसएमई आधार का लाभ उठाते हुए राज्य सरकार न केवल फुटवियर लेदर और नॉन लेदर उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देगी अपितु उन इकाइयों का भी सहयोग करेगी जो इसके लिए आवश्यक उपकरण/मशीनरी का निर्माण करती हैं।

4.4. **कौशल उन्नयन एवं कार्यबल विकास:**

1. उद्योग से जुड़े हित धारकों के सहयोग से अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र एवं समसामयिक पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे, जिससे स्थानीय कार्यबल की कौशल क्षमता में वृद्धि हो सके
2. स्थानीय स्तर पर रोज़गार सृजित करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा महिला कर्मचारियों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी विकास के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
3. शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी करते हुए फुटवियर एवं लेदर उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए जायेंगे

4.5. **आर एंड डी केंद्र, सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस एवं उत्पाद विकास (Product Development) केंद्र:**

1. राज्य सरकार नवाचार को बढ़ावा देने हेतु फुटवियर एवं लेदर डिज़ाइन, automation एवं स्मार्ट विनिर्माण तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी
2. औद्योगिक पार्कों के अन्दर लेदर एवं फुटवियर नवाचार केंद्र एवं उत्पाद विकास)Product Development (केंद्र,नवाचार लैब्स की स्थापना को सहायता प्रदान की जायेगी, जिससे रचनात्मकता एवं तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा मिले।
3. नए आविष्कार एवं उत्पाद विकास) Product Development (केंद्र हेतु पेटेंट एवं बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।
4. उत्तर प्रदेश सरकार इस नीति के अंतर्गत फुटवियर लेदर और नॉन लेदर उत्पादों के क्षेत्र में कम से कम दस Centres of Excellence स्थापित करने का प्रयास करेगी।

4.6. **ग्लोबल विजिबिलिटी में वृद्धि:**

1. निर्यात-उन्मुख प्रोत्साहन प्रदान की जायेगी, जिसमें निर्यात हेतु उत्पादों को बंदरगाहों तक परिवहन लागत के लिए अनुदान और वैश्विक व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी शामिल है।
2. गुणवत्ता और मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। MSME इकाइयों को विपणन एवं ब्रांडिंग के क्षेत्र में सहायता प्रदान की जाएगी।

4.7. **संधारणीयता (Sustainability):**

सस्टेनेबल विनिर्माण प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जायेगी, जैसेकि गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाना, अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियां, संयंत्र स्थल पर प्रदूषण नियंत्रण उपाय आदि।

5. वित्तीय प्रोत्साहन:

राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करने और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी और सुविधायें प्रदान की जायेंगी। इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए जाएंगे।

5.1. **पात्रता और परिभाषाएँ:**

5.1.1**. प्रभावी तिथि:** नीति की अधिसूचना जारी करने की तिथि**|**

5.1.2 **प्रभावी अवधि**:

प्रभावी तिथि से लेकर उस अवधि तक जिसके लिए यह नीति प्रभावी रहेगी (5 वर्ष) या राज्य सरकार द्वारा किसी संशोधन/निरस्तीकरण की तिथि,जो भी पहले हो|

5.1.3 **पात्र औद्योगिक उपक्रम**:

ऐसा कोई भी औद्योगिक उपक्रम (जो संयुक्त या सार्वजनिक क्षेत्र का न हो, जहाँ सरकार या सरकारी उपक्रम की शेयरपूंजी 50% या अधिक हो) जो किसी कंपनी, साझेदारी (LLP सहित), सोसाइटी, ट्रस्ट, औद्योगिक सहकारी सोसाइटी या निजी उपक्रम के रूप में गठित इकाई के स्वामित्व में हो, जो वस्तुओं के विनिर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण, अनुबंध विनिर्माण या जॉबवर्क में कार्यरत है या कार्यरत होने वाली है और जिसे एक नई अथवा विस्तार अथवा विविधीकरण परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है।

5.1.4 **विस्तारीकरण**

वर्तमान कार्यरत औद्योगिक उपक्रम द्वारा नए पूंजी निवेश के माध्यम से अपने सकल ब्लॉक में कम से कम 25% की वृद्धि करना विस्तारीकरण की श्रेणी में माना जाएगा।

5.2. निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन

<u>पात्र निजी औद्योगिक पार्क</u>

निजी औद्योगिक पार्क का अभिप्राय 25 एकड़ से अधिक में निजी भूमि पर विकसित औद्योगिक पार्क से है।

<u>पात्र पूंजी निवेश</u>

क्षेत्र-विशिष्ट पार्कों सहित निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र कार्य/ गतिविधियों में एक औद्योगिक पार्क में आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित होगीं। निम्नलिखित मदों पर व्यय होने वाली लागत को पात्र स्थाई पूंजी निवेश के अन्तर्गत विचरित किया जाएगा-

<u>अवस्थापना सुविधाएं</u>

1. औद्योगिक पार्क के लिए सेतु (आरओबी) (केवल 100 एकड़ या अधिक के औद्योगिक पार्क के प्रकरण में लागू।)
2. औद्योगिक पार्क के भीतर आंतरिक सड़क
3. औद्योगिक पार्क में स्ट्रीटलाइट
4. वाहरदीवारी
5. वर्षा जल निकासी की सुविधाएं
6. जल वितरण नेटवर्क, जल संवर्धन व संबंधित सुविधाएं
7. सीवरेज नेटवर्क एवं संबंधित सुविधाएं
8. उत्प्रवाह उपचार संयत्र (एफ्लुएट ट्रीटमेंट प्लाट) तथा STP संबंधी अवस्थापना
9. विद्युत/ऊर्जा/गैस वितरण नेटवर्क व संबंधित सुविधाएं
10. संचार नेटवर्क व संबंधित सुविधाएं

11. पार्किंग व ट्रक पार्किंग वे
12. आपदा प्रबंधन योजना, अग्निशमन केन्द्र/ उपकरणों सहित अग्निशमन सुविधाएं।
13. विशिष्ट सुविधाएं/ सेवा प्रदान करने के लिए नवीन निर्माण व उपकरण जिन्हें प्राधिकृत समिति प्रासगिक होने की अनुमन्यता प्रदान करे।

<u>व्यापारिक एवं वाणिज्यिक सुविधाएं</u>

1. होटल/ रेस्तरों/ जलपान गृह
2. चिकित्सालय/औषधालय/ स्वास्थ्य केन्द्र
3. पेट्रोल पंप/ विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन
4. बैंकिंग व वित्त
5. कार्यालय स्थल/ प्रशासनिक कार्यालय
6. सामान्य सुविधाएं, यथा- वेयरहाउसिंग एवं संबंधित सुविधाएं, वेट ब्रिज, कौशल विकास केन्द्र, कम्प्यूटर केन्द्र, उत्पाद विकास केन्द्र, परीक्षण केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, पार्क में वाहनों एवं उत्पादन मशीनरी के लिए मरम्मत- कार्यशाला अथवा कोई सामान्य सुविधा केन्द्र (विशेष रूप से पार्क की आवश्यकता हेतु) कोई अन्य भवन जिन्हें प्राधिकृत समिति प्रासंगिक होने की अनुमन्यता प्रदान करें।

<u>अपात्र पूंजी निवेश</u>

पात्र स्थायी पूंजी निवेश की गणना करते समय निम्नलिखित मदों की लागत को सम्मिलित नहीं किया जायेगा-

1) भूमि का मूल्य
2) भूमि समतलीकरण हेतु मिट्टी भराई का कार्य
3) ईंधन उपभोग्य पुर्जे व स्टोर
4) कम्प्यूटर व सम्बद्ध कार्यालय फर्नीचर
5) परिवहन वाहन
6) निर्माण स्थापना व कमीशनिंग प्रभार
7) पूर्व में उपभोग की गई मशीनें/पुरानी मशीनें/नवीनीकृत मशीनरी
8) सभी प्रकार के सेवा शुल्क, ढुलाई व माल ढुलाई शुल्क
9) मशीनरी की स्थापना पर व्यय
10) क्लोज सर्किट टीवी कैमरा व संबंधित उपकरण

5.2.1. निजी औद्योगिक पार्कों के विकासकर्ताओं को निम्नवत लाभ प्रदान किये जायेंगे :

क्रम	घटक	वित्तीय सहायता
1	**पूंजीगत उपादान** 1. 25 एकड़ अथवा इससे अधिक परन्तु 100 एकड़ से कम के निजी औद्योगिक पार्क	पात्र स्थाई पूंजी निवेश का 25% अथवा रु० 45 करोड़, जो भी कम हो
	2)100 एकड़ अथवा इससे अधिक के निजी औद्योगिक पार्क	पात्र स्थाई पूंजी निवेश का 25% अथवा रु० 80 करोड़, जो भी कम हो
2	**स्टाम्प शुल्क छूट**	विकासकर्ता को स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट अनुमन्य होगी

5.2.2. निजी औद्योगिक पार्कों में न्यूनतम 05 इकाईयाँ होना आवश्यक है तथा इनमें से किसी एक इकाई द्वारा औद्योगिक प्रायोजन हेतु आवंटित भूमि का 80%, से अधिक भूमि उपयोग नहीं किया जाएगा

5.2.3. अनुमन्य पूंजी उपादान का 90%, 04 सामान किश्तों में उपलब्ध कराया जाएगा तथा अवशेष 10%, इकाईयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त उपलब्ध कराया जाएगा |

5.2.4. पार्क के कुल क्षेत्रफल का 25% भाग हरित एवं सामान्य अवस्थापना सुविधाओं हेतु आरक्षित होगा |

5.2.5. विकासकर्ताओं के कन्सोर्शियम को अनुमति प्रदान की जा सकेगी |

5.2.6. 25 एकड़ अथवा इससे अधिक तथा 100 एकड़ तक के पार्कों का निर्माण 05 वर्षों में पूर्ण करना होगा |

5.2.7. 100 एकड़ एवं इससे अधिक के पार्कों का निर्माण 06 वर्षों में पूर्ण करना होगा |

5.2.8. ओपन एक्स्सेस के माध्यम से विद्युत् क्रय एवं विद्युत् वितरण लाइसेंस के प्राविधान की अनुमति होगी |

5.2.9. ऐसे औद्योगिक पार्क जो किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण /स्थानीय नगर निकाय /अन्य अधिसूचित क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में प्रस्तावित हैं , में औद्योगिक

पार्कों के मानचित्र आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के उपनियमों के अधीन स्वीकृत किये जायेंगे।

5.3. **पूंजी निवेश:**

पूंजी निवेश से तात्पर्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा अपनी परियोजना श्रेणी निर्धारित करने के लिए प्रभावी तिथि के बाद अनुमन्य निवेश अवधि के भीतर अंतिम उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए निम्नलिखित मदों में किए गए निवेश से है-

क्रम सं०	**मद**	**विवरण**
1.	भवन:	परियोजना हेतु निर्मित नया भवन (प्रशासनिक भवन सहित)। इसमें प्लांट एवं मशीनरी, अनुसंधान एवं विकास, इन-हाउस परीक्षण, भंडारण एवं कर्मचारियों के लिए हॉस्टल/डॉर्मिटरी, कार्यालय एवं प्रशासनिक परिसर से संबंधित भवनों पर हुआ वास्तविक व्यय सम्मिलित होगा। **नोट:**कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 20**%** भवन घटक के रूप में माना जाएगा।
नोट: कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 20% (जिसमें वास्तविक भवन, अन्य निर्माण, संयंत्र और मशीनरी, और इस नीति में परिभाषित बुनियादी ढांचे की कुल लागत सम्मिलित है) को पूंजी निवेश निर्धारित करने के उद्देश्य से भवन घटक के रूप में माना जाएगा।		
2.	अन्य निर्माण:	कंपाउंड दीवार एवं गेट, सुरक्षा केबिन, आंतरिक सड़कें, बोरवेल, जल टैंक, पानी एवं गैस के लिए आंतरिक पाइप लाइन नेटवर्क आदि।
3.	प्लांट एवं मशीनरी:	नया स्वदेशी/आयातित प्लांट एवं मशीनरी; यूटिलिटीज, डाई, मोल्ड, जिग्स, फिटिंग्स एवं अन्य उत्पादन उपकरण; परिवहन, नींव, स्थापना एवं विद्युतीकरण की लागत (जिसमें सब स्टेशन एवं ट्रांसफार्मर की लागत शामिल हो); इसके अतिरिक्त, डीजल जनरेटर सेट्स एवं बॉयलर अनुसंधान एवं विकास, औद्योगिक इकाई के परिसर के भीतर परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहन, सामग्री परिवहन के उपकरण; sustainability Investment- गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन हेतु प्लांट, कैप्टिव पावर उत्पादन/ को जेनरेशन सेटअप (जहाँ

		उत्पन्न शक्ति का कम से कम 75% स्व-उपयोग के लिए हो); STP, पानी शुद्धिकरण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्लाट।
4.	अवसंरचना सुविधाएँ:	नए मार्ग, सीवर लाइन्स, जल निकासी, बिजली लाइन्स एवं पावर फीडर, रेलवे साइडिंग अवसंरचना, जो उपक्रम के परिसर को मुख्य अवसंरचना से जोड़ती हैं।

5.3.1. **अपात्र पूंजी निवेश**:

कार्यशील पूंजी; गुडविल; प्रारंभिक और परिचालन-पूर्व व्यय; पूंजीकृत ब्याज; प्रौद्योगिकी / तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकों में पूंजीकृत व्यय; परामर्श शुल्क; रॉयल्टी; डिजाइन और ड्राइंग; पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा अधिकार और ऊर्जा उत्पादन, "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022" में प्लांट और मशीनरी पूंजी शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित कैप्टिव उपयोग को छोड़कर इस नीति में परिभाषित निवेश। पूंजी निवेश की गणना के लिए ऐसे मदों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.3.2. **सीमा मानदंड**(Threshold Criteria):

प्रोत्साहनों को प्रशासित करने के लिए, निम्नलिखित परियोजना श्रेणियाँ इस नीति के तहत प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगी (तालिका1)। प्रत्येक परियोजना श्रेणी के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी निवेश और प्रत्यक्ष रोजगार (रोजगार भविष्य निधि के अंतर्गत आच्छादित) या संविदा श्रमिक (परियोजना के परिसर में कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित, लेकिन अस्थायी श्रमिकों को छोड़कर) को संबंधित श्रेणियों के लिए सीमा मानदंड(Threshold Criteria) माना जाएगा।

परियोजना श्रेणी	**निवेश मानदंड**	**न्यूनतम रोजगार**
स्टैंड अलोन फुटवियर एवं लेदर उत्पाद निर्माण इकाई	निवेश ₹50 से ₹150 करोड़	प्रति 1 करोड़ पूंजी निवेश पर 20 रोजगार
फुटवियर एवं लेदर मशीनरी निर्माण इकाई	निवेश ₹50 से ₹150 करोड़	आवश्यक नहीं

मेगा एंकर इकाई	निवेश ₹150 करोड़ से अधिक,	प्रति 1 करोड़ पूंजीनिवेश पर 20 रोजगार
क्लस्टर*	न्यूनतम निवेश ₹200 करोड़	प्रति 1 करोड़ पूंजी निवेश पर 20 रोजगार
एलाइड फुटवियर एवं लेदर इकाई*:	न्यूनतम निवेश ₹150 करोड़	आवश्यक नहीं

*नोट: क्लस्टर परियोजनाएं एवं एलाइड फुटवियर एवं लेदर इकाईयां निम्न प्रतिबंधों के अधीन पात्र होंगी:

(अ) क्लस्टर:

1. संबंधित परियोजनाओं / कंपनियों के समूह का संयुक्त निवेश, जो anchor फुटवियर/लेदर निर्माण इकाई को आपूर्ति करता है,
2. सहायक इकाइयों और / या फुटवियर एवं लेदर उत्पाद निर्माण इकाइयों द्वारा समूह निवेश सम्मिलित है
3. समूह में एक मेगा एंकर इकाई होंनी अनिवार्य है
4. Anchor इकाई अपनी आपूर्ति कर्ता इकाई को इस आशय से प्रमाणित करेगी कि आपूर्तिकर्ता इकाई द्वारा एंकर इकाई को आपूर्ति की जा रही है

   समस्त इकाइयां सन्निहित (contiguous) लैंड पार्सल में होंनी अनिवार्य हैं।

5. क्लस्टर में न्यूनतम निवेश एवं रोज़गार की सीमा लागू नहीं होगी
6. क्लस्टर में स्थापित इकाईयाँ इस नीति के सभी लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी

(ब)एलाइड इकाई:

1.
    1. निर्माण इकाई के वार्षिक टर्नओवर की न्यूनतम 50% आय, फुटवियर/लेदर उत्पाद निर्माण इकाई से होना चाहिए
    2. निर्माण इकाई का 5 वर्ष या अधिक का वैध अनुबंध फुटवियर/लेदर उत्पाद निर्माण इकाई के साथ होना अनिवार्य होगा।

5.3.3. **पात्र निवेशअवधि** (Eligible Investment Period):

5.3.3.1. प्रत्येक रियोजना श्रेणी के अंतर्गत, इकाइयों को निवेश पूर्णकर 3 वर्षो के अन्दर व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा। प्रभावी तिथि के बाद एवं नीति की प्रभावी अवधि के अन्दर होनी चाहिए।

5.3.4. प्रत्येक परियोजना श्रेणी के अंतर्गत इकाइयों को निवेश की तिथि से 4 वर्ष के अन्दर निवेश पूरा करना होगा और वाणिज्यिक परिचालन शुरू करना होगा।

5.4. प्रोत्साहन:

5.4.1. भूमि लागत अनुदान:

परियोजना श्रेणी	भूमि लागत अनुदान	
	पश्चिमांचल क्षेत्र	मध्यांचल, पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र
a. स्टैंड अलोन फुटवियर और लेदर उत्पाद विनिर्माण इकाइयाँ b. फुटवियर और चमड़ा मशीनरी विनिर्माण इकाइयाँ	25%	35%
c. मेगा एंकर यूनिट d. क्लस्टर	75%	80%
नोट: 1)भूमि सब्सिडी किसी भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार के किसी अन्य संस्थान या इस नीति के तहत प्रोत्साहित क्लस्टर द्वारा आवंटित भूमि पर लागू होगी। 2)सब्सिडी की गणना राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा आवंटन के समय निर्धारित वास्तविक आवंटन मूल्य के आधार पर की जाएगी, जिसमें स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क सम्मिलित नहीं होंगे। यदि इकाई द्वारा भूमि सब्सिडी का लाभ उठाया जाता है, तो अनुमन्य पूंजीगत सब्सिडी का निर्धारण करने के लिए पात्र पूंजी निवेश में भूमि की लागत पर विचार नहीं किया जाएगा।		

5.4.2 पूंजीगत सब्सिडी:

लेदर उत्पाद और फुटवियर निर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार के प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, पूंजी निवेश सब्सिडी भी उपलब्ध कराएगी :

श्रेणी	**पूंजीगत सब्सिडी**

	पश्चिमांचल क्षेत्र	मध्यांचल, पूर्वांचल एवं बुन्देल खण्ड क्षेत्र
1. स्टैंड अलोन फुटवियर और चमड़ा उत्पाद विनिर्माण इकाइयाँ 2. फुटवियर और चमड़ा मशीनरी विनिर्माण इकाइयाँ	• पात्र पूंजी निवेशका 20%, 5 वर्षों में समान किस्तों में, अधिकतम ₹200 करोड़ तक। • वार्षिक सीमा 40 करोड़ (एक वर्ष में एक यूनिट 40 करोड़ से अधिक सब्सिडी नहीं ले सकेगी)	• पात्र पूंजी निवेश का 30%, 5 वर्षों में समान किस्तों में, अधिकतम ₹ 600 करोड़ तक। • वार्षिक सीमा 120 करोड़ (एक वर्ष में एक यूनिट 120 करोड़ से अधिक सब्सिडी नहीं ले सकेगी)
3. एलाइड लेदर यूनिट:	पात्र पूंजी निवेश का 25%, 5 वर्षों में समान किस्तों में, अधिकतम ₹1200 करोड़ तक। (एक वर्ष में एक इकाई रु० 240 करोड़ से अधिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगी)	
4. मेगा एंकर यूनिट 5. क्लस्टर	पात्र पूंजी निवेश का 30%, 5 वर्षों में समान किस्तों में, अधिकतम ₹1000 करोड़ तक। (एक वर्ष में एक इकाई रु० 200 करोड़ से अधिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगी)	पात्र पूंजी निवेश का 35%, 5 वर्षों में समान किस्तों में, अधिकतम ₹1500 करोड़ तक।(एक वर्ष में एक इकाई रु० 300 करोड़ से अधिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगी)

5.4.3. स्टाम्प ड्यूटी छूट:

पात्र इकाईयों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट प्रदान की जायेगी| यह छूट बैंक गारंटी के बदले में दी जाएगी, जिसकी समतुल्य राशि औद्योगिक इकाई द्वारा जमा कराई जाएगी और जो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होते ही मुक्त कर दी जाएगी। नीति अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी में 100% प्रतिपूर्ति का भी प्राविधान होगा |

5.4.4. रोजगार सृजन उपादान:

इकाई द्वारा जमा किए गए कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) में नियोक्ता के योगदान का 100% अनुदान 05 वर्षों हेतु, कुल ₹50 करोड़ की सीमा के अधीन, रोज़गार सृजन उपादान प्रदान किया जाएगा। 1000 से अधिक प्रत्यक्ष कर्मचारी EPF से आच्छादित होने पर ही इकाई पात्रता की श्रेणी में मानी जायेगी|

5.4.5. प्रशिक्षण उपादान:

1. उत्तर प्रदेश सरकार एक स्ट्रक्चर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से फुटवियर और लेदर उद्योग में कार्यबल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
2. कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए फुटवियर और लेदर उद्योग से संबंधित तकनीकी पाठ्यक्रम के सफल समापन पर पाठ्यक्रम शुल्क का 30%, अधिकतम ₹15,000 प्रति प्रशिक्षार्थी की सब्सिडी वितरित की जाएगी और महिलाओं, एससी/एसटी उम्मीदवारों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए सब्सिडी राशि ₹20,000 होगी।
3. इकाई-प्रेरित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी बिन्दु (2) की तरह सम्मिलित किया जाएगा, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कार्यक्रम कौशल विकास मिशन और NSDC द्वारा प्रमाणित होंगें।

5.4.6 विद्युत टैरिफ उपादान:

न्यूनतम 1000 रोजगार सृजित करने वाली इकाइयां, लाइसेंस धारी यूटिलिटी से बिजली क्रय करने पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए रु०2.00 प्रति बिल यूनिट (KWH) की दर से बिजली टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। इस सब्सिडी की अधिकतम सीमा 60 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रति यूनिट होगी। अपने स्वयं के कैप्टिव पावर प्लांट से खपत की गई बिजली या ओपन एक्सेस के माध्यम से क्रय की गई बिजली पावर टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगी।

5.4.7 अनुसंधान एवं विकास सहायता:

1. फुटवियर एवं लेदर उद्योग में नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा (आईपी) के महत्व को पहचानते हुए प्रदेश सरकार आईपीआर प्रोत्साहन प्रदान करेगी। आईपीआर प्रोत्साहन में प्रतिपूर्ति योजना शामिल होगी, जिसमें फुटवियर एवं लेदर क्षेत्र की पात्र इकाइयां पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेत (जीआई) के पंजीकरण में होने वाली लागत का 70% प्रतिपूर्ति की हकदार होंगी। इस प्रोत्साहन के अंतर्गत प्रति इकाई **₹1** करोड़ की सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2. फुटवियर और लेदर उद्योग के लिए विशेष डिजाइन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन नवाचार प्रयोगशालाओं, फुटवियर प्रोटोटाइपिंग केंद्रों की स्थापना के लिए प्रति इकाई लागत का 50% अनुदान, रु० 01 करोड़ की सीमा के अधीन प्रदान किया जाएगा।
3. निजी कंपनीयां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकारी संगठन (भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों) या यूजीसी से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को फुटवियर और लेदर क्षेत्र में Centre of Excellence स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति अवधि में अधिकतम 10 ऐसे उत्कृष्टता केंद्र (एक जिले में अधिकतम 01 CoE) को बढ़ावा दिया जाएगा|अनुदान की मात्रा परियोजना लागत के 50% तक होगी, जिसकी कुल सीमा प्रति परियोजना ₹10 करोड़ होगी।

5.4.8. ट्रांसपोर्ट एवं लाजिस्टिक्स सब्सिडी-

यदि कोई कंपनी किसी अन्य देश से प्रदेश में अपनी मशीनों को स्थानानंतरित करती है तो इस कार्य पर होने वाले व्यय की 75 प्रतिशत धनराशि की सब्सिडी दी जाएगी। यह सबसिडी अधिकतम एक कंपनी के लिए 10 करोड़ होगी।

5.4.9. निर्यातोन्मुखी प्रोत्साहन (Export Oriented incentive):

इकाइयाँ उत्तर प्रदेश सरकार की प्रचलित निर्यात नीति के अनुसार प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती हैं।

5.4.10. संपोषणीय **(Sustainable) लेदर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन:**

लेदर उद्योग में पर्यावरण के प्रति रेस्पोंसिव एवं रेस्पोंसिबल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने संपोषणीय (**Sustainable**) प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कृत संकल्प है।

1. कार्बन क्रेडिट प्रमाणन, ऊर्जा ऑडिट एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणन (RECs) से संबंधित खर्चों पर प्रति इकाई 50% प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹50 लाख प्रति इकाई, की जायेगी
2. जैविक विघटन शील टैनिंग एजेंट, जल रहित डाइंग एवं जैव-आधारित विकल्पों को अपनाने पर प्रति इकाई 50% सब्सिडी, अधिकतम ₹1 करोड़ प्रदान की जायेगी|
3. LEED, ISO 14001, एवं LWG जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण न प्राप्त करने पर प्रति इकाई 75% सब्सिडी, अधिकतम ₹1 करोड़, उपलब्ध कराई जायेगी।
4. वैकल्पिक लेदर (पौधे-आधारित, जैव-निर्मित, यालैब-उत्पन्न) का उत्पादन करने वाली एलाइड लेदर इकाइयाँ, अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी के पात्र होंगी, जो ECI (पात्र पूंजी निवेश) का 5% होगी, अधिकतम प्रति इकाई ₹15 करोड़, 7 समान वार्षिक किस्तों में।

5.4.11 MSME इकाइयों के लिए लाभ:

फुटवियर एवं लेदर उत्पाद निर्माण में कार्यरत MSME इकाइयाँ, यूपी MSME नीति 2022 में परिभाषित प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगी, परन्तु समप्रकरणों में वे इस नीति के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन का दावा नहीं कर सकेंगी।

5.4.12 प्रोत्साहनों की कुल सीमा:

इस नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों की कुल सीमा पात्र पूंजी निवेश के 100% तक सीमित होगी।

नोट: नीति में परिभाषित सभी इकाइयों को भारत सरकार की विभिन्न नीतियों/योजनाओं के तहत प्रोत्साहन लेने की अनुमति होगी, पर राज्य की मौजूदा निर्यात नीति को छोड़कर अन्य राज्य नीतियों के तहत प्रोत्साहनों के साथ डवटेलिंग अनुमन्य नहीं होगी।

6. **नीति क्रियान्वयन:**

6.1. यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी हो जाएगी और 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी।

6.2. उद्योग निदेशालय इस नीति के अंतर्गत आवेदनों की प्रक्रिया के लिए समर्पित नोडल एजेंसी होगी, इस हेतु MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।

6.3. निवेश मित्र एवं ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली से लिंक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा एवं आवेदकों को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी।

6.4. नोडल एजेंसी में एक नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) स्थापित की जाएगी| इसमें आउटसोर्स्ड पेशेवरों सलाहकारों से पर्याप्त स्टाफिंग की जायेगी, जो आवेदनों एवं सिंगल विंडो संचालन का प्रबंधन करेगी। एक नामित नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में सिंगल विंडो संचालित की जाएगी। नोडल एजेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, लागत लेखाकार, लेखापरीक्षक आदि को भी व्यक्तियों या फर्मों या एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध कर सकती है।

6.5. नोडल एजेंसी में एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा, जो प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करेगी।

6.6. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में गठित **"प्राधिकृत समिति "**स्टैंड अलोन फुटवियर और लेदर उत्पाद विनिर्माण इकाई; फुटवियर और लेदर मशीनरी विनिर्माण इकाई श्रेणी के रु० 150 करोड़ अथवा इस से कम के आवेदनों की स्वीकृति व संवितरण के अनुमोदन हेतु प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

6.7. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित **"उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति"**, रु०150 करोड़ से अधिक निवेश के आवेदनों (मेगा एंकर यूनिट; क्लस्टर; अलाइड फुटवियर और लेदर इकाई) की स्वीकृति अनुमोदन **हेतु मा. मंत्रिपरिषद्** के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह समिति, नीति के अंतर्गत किसी प्रकार की स्पष्टता अथवा व्याख्या प्रदान करने तथा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु अधिकृत होगी।

6.8. उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति नीति के सम्बन्ध में कोई स्पष्टता या व्याख्या प्रदान करने और नीति के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने हेतु सक्षम होगी।

6.9 नीति के किसी प्राविधान में संशोधन, परिमार्जन मा० मुख्यमंत्री जी की अनुमति से किया जा सकेगा|

(3) उक्तानुसार "उत्तर प्रदेश फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025" प्रख्यापन हेतु मा0 मंत्रिपरिषद के लिए टिप्पणी का आलेख DFA/1048667 निम्वत् प्रस्तुत है :-

वैश्विक फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र में निरंतर विकास एवं वृद्धि हो रही है, जिसका मुख्य कारण उपभोक्ता मांग में वृद्वि, उत्पादन प्रोद्योगिकी में प्रगति और खुदरा बाजारों का विस्तार है। यह क्षेत्र वैश्चिक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समृद्ध विरासत और विनिर्माण के सुदृढ़ आधार के साथ, भारत लेदर उत्पादों और फुटवियर के शीर्ष वैश्विक उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान के साथ देश की 'मेक इन इंडिया' एवं 'आत्मनिर्भर भारत' की अवधारणाओं के अनुरूप है। यह क्षेत्र अत्यधिक श्रमसाध्य है जो लगभग 44 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसमें विशेष रूप से लेदर उत्पाद निर्माण गतिविधियों में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2023-24 में भारत से फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र का कुल निर्यात मूल्य USD 4.7 बिलियन था, जिसमें प्रमुख निर्यात गंतव्यों में अमेरिका, जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड्स शामिल हैं। भारतीय फुटवियर क्षेत्र अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, कुशल कारीगरी और एक मजबूत निर्यात उन्मुखता के साथ निरंतर विकसित हो रहा है।

2. उत्तर प्रदेश भारत के सबसे महत्वपूर्ण फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर केंद्रों में से एक है, जो घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है । बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग के चलते उत्तर प्रदेश में फुटवियर और चमड़ा उद्योग में लगातार वृद्धि देखी गयी है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का बाजार लगभग USD 350 करोड़ का होने का अनुमान है, जिसमें फुटवियर क्षेत्र का योगदान इस राजस्व में महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के चमड़े के कुल

निर्यात में उत्तर प्रदेश का हिस्सा करीब 46% है। उच्च गुणवत्ता वाले लेदर उत्पादों की बढ़ती मांग, भारत निर्मित फुटवियर की बढ़ती प्राथमिकता उत्तर प्रदेश को वैश्विक बाजारों में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित कर चुकी है । घरेलू स्तर पर शहरीकरण, बदलते फैशन रूझानों और व्यय क्षमता के कारण फुटवियर एवं लेदर वस्तुओं की मांग निरन्तर बढ़ रही है। प्रमुख घरेलू ब्रांड और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपनी प्रीमियम फुटवियर कलेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश से लेदर प्राप्त करती हैं ।इसके अतिरिक्त ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने बाजार की पहुंच को व्यापक किया है, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों को देश का व्यापक बाज़ार प्राप्त हुआ है |

3. प्रौद्योगिकी, स्थिरता और ब्रांडिंग में निरंतर निवेश के साथ उत्तर प्रदेश वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति को और भी बढ़ा सकता है। राज्य का स्थायी और पर्यावरण अनुकूल लेदर उत्पादन पर विशेष फोकस उन बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने में सहायक होगा, जहाँ पर्यावरणीय नियम अत्यधिक कड़े होते जा रहे हैं। प्रदेश के कानपुर और आगरा फुटवियर एवं लेदर उत्पादों के विशिष्ट केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध हैं एवं निर्यात केंद्र के रूप में अपना विशेष स्थान रखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में उन्नाव, बरेली और लखनऊ शामिल हैं, जो लेदर वस्तुओं के उत्पादन, फुटवियर निर्माण और हस्तशिल्प लेदर कार्य में योगदान करते हैं। राज्य एक सुदृढ़ अवसंरचना और सुगम औद्योगिक सहायता प्रणाली के कारण पूंजी निवेश का एक मुख्य आकर्षण बनता जा रहा है। समर्पित लेदर पार्कों की उपलब्धता, एक्सप्रेसवेज एवं हाइवेज का अबाध जाल लॉजिस्टिक्स और निर्यात हेतु प्रदेश को एक महत्वपूर्ण गंतव्य बनाया है। सरकारी नीतियों और प्रोत्साहनों ने उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऋण अनुदान, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता और कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने इस क्षेत्र की वृद्धि में योगदान दिया है। लेदर और फुटवियर उद्योग उत्तर प्रदेश में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

4. उत्तर प्रदेश में फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ एवं अनुकूल इकोसिस्टम उपलब्ध है, राज्य में वैश्विक बाजार के रुझानों के साथ तालमेल बिठाते हुए गैर-चमड़े के फुटवियर विनिर्माण में विस्तार करने की एक अंतर्निहित क्षमता है। उत्तर प्रदेश भारत में आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए सोल (soles), बकल्स और अलंकरण (embellishments) जैसे फुटवियर घटकों के निर्माण में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर सकता है। राज्य में भारत का सबसे बड़ा एमएसएमई आधार होने के कारण उत्तर प्रदेश फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र के लिए मशीनरी एवं उपकरण निर्माण के लिए विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए अनुकूल स्थान है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार का लक्ष्य फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना है, जिसमें डिजाइन, अनुसंधान और विकास, निर्यात और सहायक उद्योग (allied industries) सम्मिलित हैं। अतएव फुटवियर और चर्म उद्योग के लिए अनुकूल

पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और आधारभूत ढांचे के विकास में निवेश पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक समर्पित नीतिगत ढांचा उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में अग्रणी गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा।

5. उक्त पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा **"उत्तर प्रदेश** फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र **विकास नीति 2025"** के प्रख्यापन का प्रस्ताव है। उक्त नीति के प्रख्यापन से प्रदेश के फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र के विकास के साथ-साथ प्रदेश के हस्तशिल्पियों/कारीगरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा तथा प्रदेश में पूंजी निवेश एवं रोजगार के नये अवसरों के सृजन के साथ-साथ वैश्विक निर्यात एवं घरेलू मांग में भी वृद्धि होगी। इससे उ0प्र0 के फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र के उद्योग को नया आयाम और संरक्षण मिलने के साथ ही उदयोग में लगे कारीगरों/हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर में भी सुधार एवं व्यक्तिगत विकास होगा। इस दृष्टिकोण से प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम बार उ0प्र0 के फुटवियर,लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र के उद्योग के प्रोत्साहन हेतु **"उत्तर प्रदेश फुटवियर लेदर और नान लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025"** उक्त प्रस्तर-2 के अनुसार तैयार की गई है, जो इस टिप्पणी के साथ संलग्न है। **"उत्तर प्रदेश फुटवियर लेदर और नान लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025"** का उद्देश्य सुदृढ़, प्रौद्योगिकी-संचालित और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर राज्य को भारत के अग्रणी फुटवियर **लेदर और नान लेदर** विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना है। नीति के व्यापक उद्देश्यों में निम्नलिखित लक्ष्य भी सम्मिलित हैं:-

(1) प्रमुख वैश्विक बाजारों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश से फुटवियर **लेदर और नान लेदर** उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना

(2) नए निवेश को आकर्षित करने और मौजूदा फुटवियर **लेदर और नान लेदर** व्यवसायों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना

(3) फुटवियर **लेदर और नान लेदर** उद्योग के तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को सुगम बनाना, उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करना

(4) लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुशल कार्यबल तैयार करना, जिससे प्रश्नगत क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित हों

(5) उद्यमों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं के अभिग्रहण को बढ़ावा देकर यह सुनिश्चित किया जाना कि लेदर उद्योग का विकास पर्यावरण के अनुकूल व स्थायी हो

(6) अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुपालन को सुनिश्चित करके प्रश्नगत उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना

(7) एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तैयार करना जो घरेलू एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, दोनों को आकर्षित करे

(8) उत्तर प्रदेश को लेदर प्रसंस्करण और उत्पाद विकास में नवाचार के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना

6. उक्त के दृष्टिगत इस टिप्पणी के साथ संलग्न **"उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025"** प्रख्यापित की जानी प्रस्तावित है ।

7. प्रस्तावित नीति के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों का अभिमत/परामर्श निम्नवत् है :-

(1) वित्त विभाग-
(2) न्याय विभाग-
(3) नियोजन विभाग-
(4) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग-
(5) कार्मिक विभाग-
(6) पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन विभाग-
(7) स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग-
(8) ऊर्जा विभाग-
(9) व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन-
(10) राज्य कर विभाग-
(11) आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग-

8. उक्त टिप्पणी को मा0 मंत्री जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा अवलोकित कर लिया गया है तथा मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

9. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर टिप्पणी के प्रस्तर-6 में उल्लिखित प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन निवेदित है।

10. नीति के किसी प्राविधान में संशोधन, परिमार्जन मा० मुख्यमंत्री जी की अनुमति से किया जा सकेगा।

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Footwear, Leather and Non-Leather Sector Development Policy - 2025

1. Introduction:

1.1. Indian and Global Scenario:

The global footwear and leather sector is continuously developing and growing, primarily driven by increasing consumer demand, advancements in production technology, and the expansion of retail markets. India is among the top global producers and exporters of leather products and footwear. This sector aligns with the concepts of 'Make in India' and 'Atmanirbhar Bharat' by making significant contributions to employment generation, especially in the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector.With an annual leather availability of approximately 3 billion square feet, India accounts for 13% of global leather production. Additionally, the country holds 20% of the world's cattle and buffalo population and 11% of the goat and sheep population, ensuring a consistent supply of raw materials. This sector is highly labor-intensive, providing employment to around 4.4 million people, with women playing a vital role particularly in leather product manufacturing activities.

With an annual production of approximately 250 crore (2.5 billion) footwear units, India is the world's second-largest producer and also the second-largest consumer of footwear. On the global front, India is the second-largest exporter of leather garments, the third-largest exporter of saddlery and harness products, and the fourth-largest exporter of leather goods. Major export destinations for Indian leather, footwear, and leather products include the USA, Germany, the UK, Italy, France, Spain, and the Netherlands.

1.2. Scenario in Uttar Pradesh:

Uttar Pradesh is one of the most important footwear and leather hubs in India, contributing significantly to both domestic production and exports.

The state accounts for approximately **46% of India's total leather exports**, with key markets including **Europe, the United States, and Middle Eastern countries**.

Agra, known as the **"Footwear Capital of India,"** is a major exporter of finished leather footwear, while **Kanpur** holds a prominent position in **leather footwear accessories, safety footwear, and saddlery**.

Leading domestic brands and multinational companies source leather from Uttar Pradesh for their premium footwear collections. Additionally, **e-commerce platforms have broadened market reach**, enabling small and medium enterprises to access wider markets across the country.

1.3. Uniqueness of Uttar Pradesh:

1.3.1. Industrial Hubs

Leather is a major **ODOP (One District One Product)** item of Uttar Pradesh and is a focus product in **Kanpur, Unnao, and Agra**, known for their craftsmanship and global exports. The leather and non-leather industries are primarily concentrated in cities like **Kanpur, Unnao, and Agra**, which serve as major production and export hubs.

Kanpur specializes in **leather tanning, finished leather, safety footwear, and saddlery equipment**, while **Agra** is a global leader in **footwear manufacturing and exports**. Other important Centres include **Unnao, Bareilly, and Lucknow**, which contribute to leather product manufacturing, footwear production, and handcrafted leatherwork.

There are **over 200 operational tanneries in the state**, most of which are concentrated in **Kanpur and Unnao**, producing high-quality finished leather that caters to both domestic and international market demands.

1.3.2. Availability of Raw Material:

Uttar Pradesh contributes **30% of India's total raw leather production**, making it a significant supplier for both domestic and export markets.

Government policies and incentives have played a crucial role in promoting the industry. **Subsidized loans, financial assistance for technology upgrades, and training programs for artisans** have contributed to the sector's growth.

1.3.3. Demographic Dividend:

Nearly one-fifth of India's population resides in Uttar Pradesh, with **60% within the working-age group**. The Government of Uttar Pradesh is committed to market-oriented skill development for this vast youth population, especially in the **footwear, leather, and non-leather sectors**, which have immense employment potential.

The **leather and footwear industry are a major source of employment** in Uttar Pradesh, providing jobs to over **1 million people**. A significant portion of the workforce is engaged in **small and medium enterprises (SMEs)**, which play an important role in the state's economy.

1.3.4. Government Support and Policies:

The Government of Uttar Pradesh has taken several important steps to promote the **footwear and leather industry**. One of the major projects is the **proposed Mega Leather Park in Kanpur**, aimed at attracting investment and streamlining production processes in the state.

To promote **sustainable leather production**, the state has initiated **wastewater treatment plants and environmental compliance measures** to ensure that tanneries operate in an environmentally friendly manner. The government is also working on establishing **Common Effluent Treatment Plants (CETPs)** in major leather hubs to reduce pollution and meet **international environmental standards**.

2.**Structure** of the Policy:

This policy encompasses the entire **footwear, leather, and non-leather value chain**, including manufacturing, design, research & development, exports, and **allied industries**, all of which are comprehensively defined.

(a) Footwear Manufacturing Units:

1. **Leather Footwear Manufacturing**
2. **Non-Leather Footwear Manufacturing** (PU, EVA, rubber, synthetic, sports, woven footwear)
3. **Ancillary Units**: Units that specifically manufacture components for footwear companies such as buttons, snap fasteners, inlay cards, buckles, eyelets, hooks, rivets, sequins, embroidery threads, stones, toggles, studs, elastic fabric, ornaments, embellishments, zippers, etc.
4. **Non-Leather Processing Units**: Such as polyurethane leather and component manufacturing units like upper stitching units, stock fitting facilities, fly knit factories, mold factories, ornament factories, lace factories, sole factories, footbed factories, etc., which specifically supply to footwear manufacturers.

(b) Leather and Non-Leather Product Manufacturing Units:

1. **Leather and Non-Leather Accessories and Finished Goods** (e.g., handbags, wallets, purses, travel goods, gloves, upholstery, etc.)
2. **Leather Garments**
3. **Saddlery and Harness**

4. **Ancillary Units** (including chemicals, dyes, oils, adhesives, soles, heels, insoles, buckles, zippers, eyelets, laces, embellishments, linings, threads, tags, labels, etc.)

(c) Footwear Leather and Non-Leather Machinery Manufacturing Units:

- Leather Sewing/Stitching Machines Manufacturer
- Leather Cutting and Moulding Machines Manufacturer
- Technical Textiles Machines Manufacturer
- Non-Leather Shoes (Safety Shoes) Machines and Component Manufacturer

(d) Cluster Approach:Includes group investment by ancillary units and/or footwear and leather product manufacturing units

(e) Allied Footwear Leather and Non-Leather Units:Units that, due to various resource or compliance requirements, are located outside the cluster but are an essential part of the supply chain

(f) Product Development Centres, Research & Development (R&D) Centres:Footwear and Leather Design Studios, R&D centres for leather and footwear

3. Objective:

The objective of the **Uttar Pradesh Footwear and Leather Development Policy** is to establish the state as India's leading **footwear and leather manufacturing and export hub** by promoting robust, technology-driven, and globally competitive industrial development. The broader objectives of the policy include:

1. Promoting the export of footwear, leather, and non-leather products from Uttar Pradesh, focusing on key global markets
2. Providing financial assistance and incentives to attract new investments and support the expansion of existing leather, non-leather, and footwear businesses
3. Facilitating the **technological upgradation and modernization** of the leather industry, and enhancing productivity and product quality
4. Creating a skilled workforce through targeted training programs, thereby generating new employment opportunities in the leather sector

5. Developing a **conducive business environment** that attracts both domestic and foreign direct investment (FDI)

4. Key Pillars of the Policy:

4.1. Land Availability (Land Bank):

The state government will provide a developed location for leather and footwear manufacturing. For this purpose, the state will identify large land parcels at suitable locations to create a **land bank and dedicated leather parks**, equipped with state-of-the-art infrastructure including **plug-and-play facilities**, **waste treatment plants**, and **common service Centres**.

4.2. Fast-Track Land Allotment:

An online land allotment process is already operational in the state, which facilitates the **rapid establishment of industries through a single-window system**. This process will also apply to footwear and leather units. Priority will be given in providing land to **mega anchor units** and **clusters**.

4.3. Promotion of Footwear and Equipment Manufacturing:

Leveraging India's largest MSME base, the state government will not only promote the manufacturing of **footwear leather and non-leather products**, but also support the **units involved in the manufacturing of required machinery and equipment**.

4.4. Skill Development and Workforce Enhancement**:**

1. State-of-the-art training centres and contemporary curricula will be developed in collaboration with industry stakeholders to enhance the skill capacity of the local workforce.
2. Units generating local employment will be encouraged, with a focus on inclusive growth opportunities for women and persons with disabilities.
3. Specialized courses will be developed in partnership with educational institutions to align with the specific needs of the footwear and leather industry.

4.5. R&D Centres, Centres of Excellence, and Product Development Centres:

1. The state government will provide subsidies for research and development activities in footwear and leather design, automation, and smart manufacturing technologies to promote innovation.
2. Support will be provided for the establishment of **Leather and Footwear Innovation Centres**, **Product Development Centres**, and **Innovation Labs** within industrial parks to foster creativity and technological advancement.
3. Incentives will be given for obtaining patents and intellectual property rights for new inventions and product development.
4. Under this policy, the Government of Uttar Pradesh will strive to establish **at least 10 Centres of Excellence** in the field of footwear, leather, and non-leather products.

4.6. Enhancing Global Visibility:

1. Export-oriented incentives will be provided, including subsidies for transportation of goods to ports for export and support for participation in global trade fairs and exhibitions.
2. Financial assistance will be provided for obtaining international certifications to ensure compliance with quality and standards. Support will also be extended to MSME units in marketing and branding.

4.7. Sustainability:

Subsidy support will be provided for adopting sustainable manufacturing practices such as the use of non-conventional energy sources, waste management technologies, and pollution control measures at plant sites.

5. Financial Incentives:

To attract maximum investment in the state and maintain industrial competitiveness, attractive financial incentives, subsidies, and facilities will be provided. Detailed guidelines will be issued for this purpose.

5.1. Eligibility and Definitions:

5.1.1. Effective Date: The date of issuance of the policy notification.

5.1.2. Effective Periodmeans period of 5 years for which this policy remains in effect from the effective date, or the date of any amendment/cancellation by the state government, whichever is earlier.

5.1.3. Eligible Industrial Enterprise or Unit means any industrial undertaking (excluding joint or public sector enterprises where government or government undertakings hold 50% or more equity) owned by a company, partnership (including LLP), society, trust, industrial cooperative society, or private entity, which is engaged or will be engaged in manufacturing, production, processing, contract manufacturing, or job work and is established as a new, expansion, or diversification project.

5.1.4. Expansion/Diversificationmeans an increase of at least 25% in the gross block through new capital investment by an existing industrial enterprise will be considered as expansion or diversification, including that diversification must add production of an entirely different product (not just a variation or version of an existing product).

5.2. Incentives for Private Industrial Parks:

5.2.1. The developers of private industrial parks shall be provided the following benefits:

Sl.	Component	Financial Assistance
1	**Capital Subsidy** 1) 25 acres or more but less than 100acres	**25%** of eligible fixed capital investment or **₹45 crore**, whichever is less.
	2)100 acres or more	**25%** of eligible fixed capital investment or **₹80 crore**, whichever is less.
2	**Stamp Duty Exemption**	The developer will be **eligible for 100% exemption on stamp duty**.

5.2.2. **Eligible Capital Investment**

Works/ Activities eligible for availing financial incentives for Private Industrial Parks including sector specific parks shall include Infrastructure facilities as may be required in an industrial park. The cost incurred on the following heads can be counted under the Eligible Fixed Capital Investment:

Infrastructure

a. Bridge to the industrial park (RoB) (only in case of 100 acres Industrial Park)
b. Internal roads within the industrial park
c. Streetlights in industrial Park

d. Boundary Wall
e. Storm Water Drainage facilities
f. Water distribution network, Water augmentation and related facilities
g. Sewerage network and related facilities
h. Effluent treatment plant and STP related infrastructure
i. Electricity/Energy/Gas distribution network and related facilities
j. Communication Network and related facilities
k. Parking and Truck Parking Bays
l. Disaster Management Plan, Fire station/Firefighting facilities with equipment.
m. New structures and equipment for providing specific facilities/ service which are approved by the Empowered Committee.

Business & Commercial Facilities

a. Hotel/ Restaurants/ Canteen
b. Medical centre/ Hospital/Dispensary
c. Petrol Pump/ EV Charging Station
d. Banking & Finance
e. Office Space/ Administration Office
f. Common facilities like – warehousing and related facilities, Weight Bridge, Skill Development Centre, Computer Centre, Product Development Centre, Testing Centre, R & D Centre, Container Freight Station, Repair workshop for Vehicles and Production Machinery in the park and or any common facilities centre (specific to the requirement of the Park)or any other building approved by the Empowered Committee.

5.2.3. **Ineligible Expenses:**

While calculating project cost, following items shall not be included in the project cost:

a. Cost of the land
b. Earth filling work for land levelling
c. Fuel Consumables Spares and Store
d. Computer and Allied Office Furniture
e. Transport Vehicles
f. Erection installation and Commissioning charges
g. Second Hand/Old Machines/Refurbished Machinery
h. All Types of service charges, Carriage and Freight Charges.
i. Expenditure on setting up of Machinery
j. Close Circuit TV Camera and related equipment
k. Consultancy Fee

l. Stationary Items
m. Any investment (except land) made for the Private Industrial Park before the effective date of the Policy
n. Any type of maintenance charges
o. Any other expenses which the Empowered Committee considers irrelevant.

5.2.4. Private industrial parks must have a minimum of 5 units, and no single unit shall utilize more than 80% of the land allocated for industrial purposes.

5.2.5. 90% of the eligible capital subsidy will be disbursed in 4 equal instalments, and the remaining 10% will be provided after the commencement of commercial production by the units.

5.2.6. 25% of the total area of the park must be reserved for green spaces and common infrastructure facilities

5.2.7. Consortiums of developers will be permitted.

5.2.8. Parks with an area of 25 acres or more and up to 100 acres must be completed within 5 years.

5.2.9. Parks with an area of 100 acres or more must be completed within 6 years.

5.2.10. Permission will be granted for power purchase through open access and provisions for power distribution licenses.

5.2.11. In case the proposed industrial park is outside the jurisdiction of any Industrial Development Authority / Local Urban Body / Other Notified Area, the layout plans of such parks shall be approved by Commissioner and Director Industries as per the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) byelaws.

5.3. Capital Investmentmeans investment made by the eligible industrial enterprise under the following heads, within the permissible investment period after the effective date, for determining its project category and for manufacturing the final product –

Sl.	Item	Description
1	**Building**	New building constructed for the project (including administrative building). This includes actual expenditure on buildings related to plant & machinery, R&D, in-house testing, storage, hostel/dormitory for employees, office, and administrative premises.

		Note: A maximum of 20% of the total capital investment will be considered under the building component.
Note: A maximum of 20% of the total capital investment (including the actual cost of building, other construction, plant & machinery, and infrastructure as defined in this policy) will be considered under the building component for determining capital investment.		
2	**Other Construction**	Compound wall and gate, security cabin, internal roads, borewell, water tanks, internal pipeline networks for water and gas, etc.
3	**Plant & Machinery**	New indigenous/imported plant and machinery; utilities, dies, moulds, jigs, fittings, and other production equipment; costs of transport, foundation, installation, and electrification (including cost of substation and transformers); additionally, diesel generator sets and boilers. Also includes R&D equipment, vehicles used within the premises of the industrial unit, and material handling equipment. Sustainability Investment: Plant for non-conventional energy generation, captive power generation/cogeneration setup (where at least 75% of the generated power is for self-use); STP, water purification, and pollution control equipment.
4	**Infrastructure Facilities**	New roads, sewer lines, drainage, electric lines and power feeders, and railway siding infrastructure that connects the enterprise premises to the main infrastructure.

5.3.1. Ineligible Capital Investmentincludes Working capital; goodwill; preliminary and pre-operative expenses; capitalized interest; capitalized expenditure recorded in books for acquiring technology/technical know-how; consultancy fees; royalty; design and drawings; patents, licenses, software, and intellectual property rights; and investments defined under this policy except for captive use under the plant and machinery capital head as mentioned in the "Uttar Pradesh Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2022." Such items will not be considered for the calculation of capital investment.

5.3.2. Threshold Criteria: To administer incentives, the following categories of projects will be eligible for incentives under this policy as per Table below. For each project category, the minimum required capital investment and direct employment (covered under Employees' Provident Fund) or contract workers (engaged to work within the project premises either directly or through a contractor, excluding temporary labour) will be considered as the threshold criteria for the respective categories.

Project Category	Investment Criteria	Minimum Employment
Standalone Footwear & Leather Product Manufacturing Unit	Investment from ₹50 to ₹150 crore	20 jobs per ₹1 crore of capital investment
Footwear & Leather Machinery Manufacturing Unit	Investment from ₹50 to ₹150 crore	Not required
Mega Anchor Unit	Investment above ₹150 crore	20 jobs per ₹1 crore of capital investment
Cluster*	Minimum investment of ₹200 crore	20 jobs per ₹1 crore of capital investment
Allied Footwear & Leather Unit*	Minimum investment of ₹150 crore	Not required

***Notes: Eligibility Conditions for Clusters and Allied Units**

(A) Cluster:

1. Combined investment of related projects/companies supplying to an anchor footwear/leather manufacturing unit.
2. Includes investment from ancillary units and/or footwear & leather product manufacturing units.
3. A mega anchor unit in the group is mandatory.
4. Anchor unit must certify that the supplier unit is supplying to it.
5. All units must be located within a contiguous land parcel.
6. Minimum investment and employment thresholds do not apply to clusters.
7. Units within the cluster will be eligible for all benefits under this policy.

(B) Allied Unit:

1. At least 50% of the annual turnover of the manufacturing unit must come from a footwear/leather product manufacturing unit.

Project Category	Investment Criteria	Minimum Employment
2. The manufacturing unit must have a valid contract of 5 years or more with a footwear/leather product manufacturing unit.		

5.3.3. Eligible Investment Period:

5.3.3.1. Under each project category, units must complete the investment and commence commercial production within 3 years. At least 80% of the capital investment must be made after the effective date and within the validity period of the policy.

5.3.4. Under each project category, units must complete the investment and commence commercial operations within 4 years from the date of first investment.

5.4. Incentives:

5.4.1. Land Cost Grant:

Project Category	Pashimanchal Region	Madhyanchal, Purvanchal& Bundelkhand Regions
a) Standalone Footwear and Leather Product Manufacturing Units b) Footwear and Leather Machinery Manufacturing Units	25%	35%
c) Mega Anchor Unit d) Cluster	75%	80%

Notes:

1. The land subsidy will be applicable only on land allotted by any Industrial Development Authority, State Government entity, or a cluster promoted under this policy.
2. The subsidy will be calculated based on the actual allotment value as determined by the State Government agency at the time of allotment. Stamp duty and registration charges will not be included.
3. If a unit avails the land subsidy, the cost of land shall not be considered in the eligible capital investment for determining the admissible capital subsidy.

5.4.2 Capital Subsidy: To ensure a competitive advantage for leather product and footwear manufacturers, the Government of Uttar Pradesh will provide **capital investment subsidy** in addition to the incentives offered by the **Central Government.**

Category	**Capital Subsidy**	
	Pashimanchal Region	**Madhyanchal, Purvanchal& Bundelkhand Regions**
1) Standalone Footwear and Leather Product Manufacturing Units 2) Footwear and Leather Machinery Manufacturing Units	20% of Eligible Capital Investment in equal instalments over 5 years, up to a maximum of ₹200Crores. Annual limit: ₹40 Crores (A single unit cannot avail more than ₹40 Crores in a year)	30% of Eligible Capital Investment in equal instalments over 5 years, up to a maximum of ₹600 Cr. Annual limit: ₹120 Crores (A single unit cannot avail more than ₹120 Crores in a year)
3)Allied Leather Unit:	25% of the eligible capital investment, disbursed in equal instalments over 5 years, up to a maximum of ₹1200 Crores. (A single unit cannot avail benefits exceeding ₹240 Crores in a year).	
4) Mega Anchor Unit 5)Cluster	30% of the eligible capital investment, in equal instalments over 5 years, up to a maximum of ₹1000 crore. A single unit cannot avail subsidy of more than ₹200 crore in one year.	35% of the eligible capital investment, in equal instalments over 5 years, up to a maximum of ₹1500 crore. A single unit cannot avail subsidy of more than ₹300 crore in one year.

5.4.3. Stamp Duty Exemption: Eligible units will be provided 100% exemption from stamp duty. This exemption will be granted against a bank guarantee of an equivalent amount deposited by the industrial unit, which will be released upon commencement of commercial production. The policy also provides for 100% reimbursement of stamp duty.

5.4.4. Employment Generation Subsidy:A subsidy equivalent to 100% of the employer's contribution to the Employees' Provident Fund (EPF) deposited by the unit will be provided for 5 years, subject to a maximum limit of ₹50 crore. A unit shall be considered eligible under this provision only if it employs more than 1,000 direct employees covered under EPF.

5.4.5. Training Subsidy:

1. The Government of Uttar Pradesh is committed to enhancing the capabilities of the workforce in the footwear and leather industry through a structured training program.
2. To promote skill development, a subsidy of 30% of the course fee (maximum ₹15,000 per trainee) shall be provided upon successful completion of a technical course related to the footwear and leather industry. For women, SC/ST candidates, and differently-abled beneficiaries, the subsidy amount will be ₹20,000.
3. Unit-driven training programs will also be considered for incentives as per Clause 5.4.5 (2) of the policy, provided such programs are certified by the Skill Development Mission and NSDC.

5.4.6. Power Tariff Subsidy: Units generating a minimum of 1,000 jobs and purchasing electricity from a licensed utility will be eligible for a power tariff subsidy at the rate of ₹2.00 per billed unit (KWH) for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production. The maximum limit for this subsidy will be ₹60 lakh per year per unit. Power consumed from self-owned captive power plants or purchased through open access will not be eligible for this subsidy.

5.4.7. Research & Development Support:

1. Recognizing the importance of **intellectual property (IP)** in promoting innovation and competitiveness in the footwear and leather industry, the state government will offer IPR incentives. Eligible units in the footwear and leather sector will be entitled to a reimbursement of 70% of the expenses incurred for registration of patents, copyrights, trademarks, and geographical indications (GIs), subject to a maximum of ₹1 crore per unit.
2. To encourage the establishment of specialized design units for the footwear and leather industry, a grant of 50% of the cost (up to ₹1 crore per unit) will be provided for the establishment of **design innovation labs and footwear prototyping Centres.**
3. Private companies, public sector undertakings, government organizations (both of the Government of India and the Government of Uttar Pradesh), or academic institutions recognized by the UGC will be encouraged to establish **Centres of Excellence in the footwear and leather sector**. A maximum of 10 such Centres of Excellence (only one per district) will be promoted during the policy period. The grant shall be up to 50% of the project cost, subject to a maximum of ₹10 crore per project.

5.4.8. Transport and Logistics Subsidy: If a company relocates its machinery from another country to the state, a subsidy amounting to 75% of the expenses incurred for this relocation will be provided. The maximum subsidy under this provision shall be ₹10 crore per company.

5.4.9. Export-Oriented Incentive: Units can avail incentives as per the prevailing Export Policy of the Government of Uttar Pradesh.

5.4.10. Incentives for Sustainable Leather Industries: To promote environmentally responsive and responsible practices in the leather industry, the State Government is committed to encouraging sustainable technologies and processes.

1. 50% reimbursement of expenses related to carbon credit certification, energy audits, and Renewable Energy Certifications (RECs), up to a maximum of ₹50 lakh per unit.
2. A subsidy of 50% (maximum ₹1 crore per unit) for adoption of biodegradable tanning agents, waterless dyeing, and bio-based alternatives.
3. A subsidy of 75% (maximum ₹1 crore per unit) for obtaining international certifications such as LEED, ISO 14001, and LWG.
4. Allied leather units producing alternative leather (plant-based, bio-fabricated, or lab-grown) will be eligible for an additional capital subsidy equivalent to 5% of the Eligible Capital Investment (ECI), up to ₹15 crore per unit, disbursed in 7 equal annual instalments.

5.4.11. Benefits for MSME Units:MSME units engaged in the manufacturing of footwear and leather products shall be eligible for incentives as defined under the UP MSME Policy 2022. However, in such cases, they shall not be eligible to claim additional incentives under this policy.

5.4.12 Total Incentive Limit: The total incentives provided under this policy by the Government of Uttar Pradesh shall be limited to 100% of the Eligible Capital Investment (ECI).

Note: All units defined under the policy shall be allowed to avail incentives under various schemes/policies of the Government of India. However, dovetailing of incentives with other State policies (except the prevailing Export Policy of the state) shall not be permissible.

6. Policy Implementation:

6.1. This policy shall come into effect from the date of its notification and will remain in force for a period of five years.

6.2. The Directorate of Industries shall be the dedicated nodal agency for processing applications under this policy. A separate notification in this regard will be issued by the Department of MSME and Export Promotion.

6.3. An online portal linked with 'Nivesh Mitra' and the online incentive management system will be launched, through which applications can be submitted. Applicants will be provided with a unique ID.

6.4. A Policy Implementation Unit (PIU) shall be established within the nodal agency. It will be adequately staffed with outsourced professionals and consultants who will manage applications and single-window operations. A designated nodal officer will head the single-window system. The nodal agency may also empanel chartered accountants, engineers, cost accountants, auditors, etc., as individuals, firms, or agencies.

6.5. An Evaluation Committee will be constituted within the nodal agency to evaluate the received applications.

6.6. An ***"Empowered Committee***" chaired by the Commissioner and Director of Industries will present proposals for approval and disbursement of applications related to standalone footwear and leather product manufacturing units and footwear and leather machinery manufacturing units with investment up to ₹150 crore to the Principal Secretary, Department of MSME and Export Promotion, Government of Uttar Pradesh.

6.7. A "***High-Level Empowered Committee***" chaired by the Principal Secretary, Department of MSME and Export Promotion, Government of Uttar Pradesh, will recommend proposals involving investment exceeding ₹150 crore (Mega Anchor Units; Clusters; Allied Footwear and Leather Units) for sanction/disbursement to the ***Hon'ble Cabinet***. This committee will also be authorized to provide any clarification or interpretation regarding the policy and to resolve any issues arising during its implementation.

6.8. The High-Level Empowered Committee shall be empowered to provide clarifications or interpretations regarding the policy and to resolve challenges faced during its implementation.

6.9. Any amendment or modification to any provision of the policy may be made with the approval of the Hon'ble Chief Minister.

****